

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2013—भाद्र 13, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ बी-7(बी)-31-2013-2-पांच (20).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7-बी-29-2011-2-पांच (11), दिनांक 22 मार्च, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जबलपुर जिले के जबलपुर रजिस्ट्रीकरण उप जिले को विभाजित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, जो जबलपुर जिले के जबलपुर रजिस्ट्रीकरण उप जिले में सम्मिलित हैं और उसका भाग है, नए रजिस्ट्रीकरण उप जिले जबलपुर-1 और जबलपुर-2 बनाती है और उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर-1 और जबलपुर-2 के नाम से, जबलपुर में दो कार्यालय स्थापित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	उप जिले का नाम (2)	पटवारी हल्का क्रमांक (3)	वार्ड क्रमांक (4)
1.	जबलपुर-1	आर आई सर्किल, जबलपुर-2 के 8 से 13, आर आई सर्किल बर्गी, खमरिया, इमलाई तथा कुन्डम और तहसील सिहोरा एवं पाटन.	2 से 7, 17, 18, 28 से 35, 38, 43, 45, से 52, 60 से 63, 66 से 70 तथा छावनी क्षेत्र.
2.	जबलपुर-2	आर आई सर्किल, जबलपुर-2 के 14 से 26, तहसील पनागर के आर आई सर्किल पनागर तथा महाराजपुर के समस्त पटवारी हल्के.	1, 8 से 16, 19 से 27, 36, 37, 39 से 42, 44, 53 से 59, 64, 65.

2. ऊपर यथा वर्णित ये उप जिले तथा उप पंजीयक कार्यालयों की स्थापना दिनांक 4 सितम्बर 2013 से प्रभावी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ बी-7(बी)-31-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-7(बी)-31-2013-2-पांच (20), दिनांक 4 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 4th September 2013

No. F-B-7(B) 31-2013-2-V(20).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) and in supersession of the previous notification of the department No. F-B-7-B-29-2011-2-V (11), dated 22nd March, 2012, the State Government, hereby, forms new registration Sub-district Jabalpur-1 and Jabalpur-2 by dividing the Jabalpur Registration Sub-district of Jabalpur district, comprising the areas specified in column (3) and (4) of the Schedule below and are included in and form part of the Jabalpur Sub-district of the Jabalpur district and establishes two offices at Jabalpur to be styled as the offices of the Sub-Registrar, Jabalpur-1 and Jabalpur-2, namely :—

SCHEME

S. No.	Name of sub-District	Patwari Circle Numbers	Ward Numbers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jabalpur-1	8 to 13 of R.I. Circle Jabalpur-2, R.I. Circle, Bargi, Khamaria, Imalai and Kundam and Tehsil Sehora and Patan.	2 to 7, 17, 18, 28 to 35, 38, 43, 45 to 52, 60 to 63, 66 to 70 and Cantonment Area.
2.	Jabalpur-2	14 to 26 of R.I. Circle, Jabalpur-2, all Patwari Halkas of R.I. Circle, Panagar and Maharajpur of Tehsil, Panagar.	1, 8 to 16, 19 to 27, 36, 37, 39 to 42, 44, 53 to 59, 64, 65.

2. These Sub-districts and the establishment of the offices of the Sub-Registrars as mentioned above shall take effect from 4th September 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.